रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 304] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 1973/भाद्र 13, 1895
No. 304] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 1973 BHADRA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDERS

New Delhi, the 30th August, 1973

S.O. 462 (E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to he order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	INR No. 1294	205·00 Metres	Films Division Govt. of India, 24 Peddar Road, Bombay 26.		Film dealing with news and current events for General release.

1	2	3	4	5	6
2.	You Must be your own Policeman.	60·00 Metres	Films news events release	General 'Educational'	Release
3.	Worth Waiting For	60·00 Metres	Do.	Do.	
4.	Third Party Guarantee	299·00 Metres	Do.	Do.	
5.	New Wave Farmers	528·21 Metres	Do.	Do.	
6.	Bundi — A Remini Science (Colour)	481·00 Metres	Do.	Do.	

[No. F. 28/4/73/FP App. 1825]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

आदेश

नई दिल्ली 30 अगस्त 1973

एस० ओ० 462 (अ0) भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 को प्रथम अनसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी अनसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है, या समाचार और सामायिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
1	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1294	205.00 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26.		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (जनरल रिलीज के लिए)
2	यू मस्ट बी योर ओन पुलिसमैन	60.00 मीटर	नर्थव		"शिक्षा सम्बन्धी" जनरल निर्माण के लिये)

1	2	3	4	5	6
3	बर्थ बेटींग फोर	60.00 मीटर	फिल्म प्रभा, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26.		"शिक्षा सम्बन्धी" (जनरल रीलिज के लिए)
4	थर्ड पार्टी गार्ण्टी	299.00 मीटर	तथैव		तथैव
5	न्यू वैव फारमर्स	528.21 मीटर	तथैव		तथैव
6	बूंदी संस्मरण	481.00	तथैव		तथैव

[संख्या फा० 28/4/73—एफ० पी० परिशिष्ट—1825]

S.O. 463 (E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Scheduled annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 film	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Short cut .	60·00 Metres	Films Division Government of India 24 Peddar Road, Bombay 26.		General Release 'Educational'
2.	It takes two hands to clap.	60·00 Metres	Do.		Do.
3.	Manavallakurichi .	294·00 Metres	Do.		Do.
4.	1002 A.D. Khajuraho .	511·00 Metres	Do.		Do.

[No. F. 28/4/73/FP App. 1826]

एस० ओ० 463 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस. ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमन के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
1	शार्ट कट	60.00 मीटर	फिल्म प्रभाग भारत सरकार 24-पैडर रोड, बम्बई-26.	जनरल रिलीज	शिक्षा सम्बन्धी
2	इट टेक्स टू हैन्ड्स टु क्लैप	60.00 मीटर	तथैव		तथैव
3	मनवाल कुरीची	294.00 मीटर	तथैव		तथैव
4	खजराहो 1002 ईसवी	511.00 मीटर	तथैव		तथैव

[संख्या फाईल 28/4/73 एफ० पी० परिशिष्ट–1826]

S.O. 464 (E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
I.N.R. No. 1294 (Eastern Edition)		284·00 Metres	Films Division, Government of India 24, Peddar Road, Bombay 26.		Film dealing with news and current events (For release in Eastern States i.e. Assam, Bihar, Nagaland, Orissa, West Bengal Manipur, NEFA and Tripura.)

[No. F. 28/4/73/FPF App. 1827]

एस० ओ० 464(अ०).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के आदेश संख्या एस. ओ. 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म की उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम स०	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि मी.	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1294 (पूर्वी संस्करण)	284.00 मीटर	फिल्मज प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-26.	भारत सरकार,	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल पूर्वी प्रदेशों असम, बिहार, नागालैंड उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मणीपुर, नेफा और त्रिपुरा में प्रदर्शन के लिए)

[संख्या फ० 28/4/73/एफ० पी० परिशिष्ट-1827]

S.O. 465 (E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Production	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & Current events or a documentary film.
1		2	3	4	6
1.	Maharashtra News No. 254	280·41 Metres	Director of Publicity Government of Maharashtra, Film Centre 68 Tardeo, Bombay-34.		News and Current events (For release in Maharashtra Circuit only).

[No. F. 28/4/73/FP App. 1828]

एस० ओ० 465(अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भाषाओं के रूपान्तर सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है —

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 11 वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9.

द्वितीय अनुसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि. मी	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
1	महाराष्ट्र समाचार संख्या 254	280 41 मीटर	प्रचार निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सैन्टर, तारदेव बम्बई-34		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल महाराष्ट्र सर्किट के लिये) ।

[संख्या फा० 28/4/73-एफ० पी० परिशिष्ट-1828]

S.O. 466 (E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film/films specified in column 2 of the Section Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub Section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	Mahitichitra No. 160	274·32 Metres	Director of Information Govt. of Gujarat Sachivalaya Ghandinagar.		Film dealing with news and current events (For release in Gujarat Circuit only).

[No. F. 28/4/73/FP App. 1829

HARJIT SINGH, Under Secy.

एस० ओ० 466(अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके गुजराती भाषा रूपान्तर सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17 वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9.

द्वितीय अनुसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि मी.	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
1	भद्दिती चित्र संख्या 166.	274.32 मीटर	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय, गांधी नगर ।		समाचार और सामयिक घटनाओं से सम्बन्धित फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिये)

[संख्या फा० 28/4/73—एफ० पी०—परिशिष्ट 1829]

हरजीत सिंह, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973